



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

District Registering Authority  
MORADABAD

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION

This is to certify that *RSD HOSPITAL & RESEARCH CENTRE* located at *RAM GANGA VIHAR* owned by *VINOD KUMAR* has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a *Hospital, Polyclinic, Physiotherapy, Infertility Clinic, Dental Clinic, Dispensary, Dialysis, Day Care Centre, Pathology, Xray Centre, ECG Centre, UltraSound Centre, CTScan Centre* under *Allopathy* System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

Place: Moradabad

Date of Issue: 25/05/2022

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
मुरादाबाद

*Mubad*  
DRA: Moradabad  
Designation of the Issuing Authority  
Moradabad


Terms and Conditions of Registration\*

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

\*Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.



03BB 846779






- 6 .III. 2007

दोषिणासंग अनु-दंक 64.


ट्रस्ट डोट

मूलपांजन- 34,45,000/- रुपये  
स्टाम्प -35,050/- रुपये

हम कि डा. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री रोषार लाल व डा. ओमति गुरुशरण कुमार धर्म पत्नी डा. विनोद कुमार व डा. गौरव कुमार पुत्र श्री डा. विनोद कुमार निवासी गंगा सिविल लाइन्स भावन सं. 84ए/2 डी. एल. अस्पताल के पास, मुरादाबाद के है। जो कि हम कृष्णा भूमि स्थिति हस्तांतरण एवमाली जिसमें कोई पेड, बोरिंग, निमर्ण आदि नहीं है, गाटा संख्या- 544 रकवई 0-308 है 0, 543 रकवई 0-247 है 0, 542 रकवई 0-367 है 0, 541 रकवई 0-225 है 0, 529 रकवई 0-089 है 0, 538 रकवई 0-1097 है 0, 551 रकवई 0-025 है 0, 550 रकवई 0-150 है 0, 549 रकवई 0-063 है 0, 545 रकवई 0-083 है 0, 546 रकवई 0-030 है 0 व 547 रकवई 0-047 है 0। कुल 12 किंती कुल रकवई 1-7437 है 0 परगना व जिला मुरादाबाद के मालिक कारिबज व दख्खान वाले आते है, और हम मुकिरान का नाम राजस्व अभिलेखा में अंकित है, हम मुकिरान ने उक्त सम्पत्ति अपनी मेहनत को कमाई से अर्जित को है, और दिलो तमन्ना है कि हम मुकिरान जन्त आम को सेवा करे, और अपनी मेहनत को कमायो को

0002  
~~0451~~ 190  
199-225



- 6 JUL 2007

03BB 846778

=2=

इस सम्पत्ति को इस तरह उपयोग में लाये कि यह सम्पत्ति हमेशा जनता आम के काम आवे। तथा हम मुक्तिरान और हम मुक्तिरान के उत्तराधिकारी इस सम्पत्ति पर सामाजिक, शैक्षिक उपयोग में लाये, लिहाजा हम मुक्तिरान छात्र शोध सम्झार बिना किसी के बढकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी किसम के अपनी इस सम्पत्ति को लेकर एक ट्रस्ट " एन. वी. जो. वैरिटेबल ट्रस्ट " के नाम से ट्रस्ट को स्थापना करते है, और इस सम्पत्ति को ट्रस्ट को सम्पत्ति करते है, ताकि यह सम्पत्ति ट्रस्ट को सम्पत्ति रहे, और कोई भी व्यक्ति इस सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित न कर पाये, तथा यह सम्पत्ति हमेशा जनता आम के धार्मार्थ / वैरिटेबल काम में हो आवे। लिहाजा यह ट्रस्ट डीड निम्न प्राविधानों के साथ निष्पादित कर दी कि सनद हो, और वक्त जरूरत पर काम आवे।

1:- यही कहमारो उपरोक्त सम्पत्ति, " एन. वी. जो. वैरिटेबल ट्रस्ट " को सम्पत्ति मानो जावेगो, तथा ट्रस्ट को इस सम्पत्तिपर अपने काम को चालने का अधिकार प्राप्त होगा।

2:- यह कि इस ट्रस्ट पर जनता आम के उपयोग हेतु शिक्षा संस्थाये, धार्मार्थ शिक्षाये, वैरिटेबल संस्थाये, मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000



C 229698

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 6 JUL 2007

मुख्य कोषाधिकारी  
मुद्रादाता 1400

=3=

विद्यालय, विकल्पालय, संगीत विद्यालय आदि को स्थापना यह ट्रस्ट सुविधा अनुसार करेगा।

उ:- यही ट्रस्ट " एस. वी. जी. वैरिटेबल ट्रस्ट " व ट्रस्ट के द्वारा संचालित उपरोक्त शिक्षा संस्थाये, मेडिकल संस्थाये, विकल्पालय आदि जो भी इस ट्रस्ट के द्वारा संचालित हों का मैनेजमेंट ट्रस्ट को स्थापना करने वाले सदस्यों में तथा उनके उत्तराधिकारियों में वेयरमैन के रूप में कार्य करेगा। परिवार के बाहर का कोई भी सदस्य इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के व ट्रस्ट के कार्य क्लर्कों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकारी न होगा।

4:- यही इस ट्रस्ट को विभिन्न प्रकारको सामाजिक शैक्षिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा संस्थाये, आर्टि विज्ञान, संगीत व क्रोडा सम्बन्धी संस्थाये तथा अन्य प्रकार को शिक्षा संस्थाये, जो जनता आम के लिए लाभकारी हो, तथा जनता आम के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल आदि अथवा मेडिकल कालेज / पैरा मेडिकल कालेज, संस्था द्वारा संचालित किये जाने का अधिकार प्राप्त होगा, तथा इस ट्रस्ट को इस सम्पत्ति पर अधिकारानुसार विबिल्डिंग बनाने का अधिकार प्राप्त होगा।

5:- यही इस ट्रस्ट का उद्देश्यमार्थ, शिक्षार्थ, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षा संस्थाओं को स्थापना करना होगा।

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 229697

- 6 JUL 2007

मुख्य कोषाधिकारी  
मुद्रादाखल 1400

=4=

6 :- यह कि इस ट्रस्ट में परिवार के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य को ट्रस्ट के प्रबन्धान में अर्थात् ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्धान में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने का अर्थात् ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में अर्थात् ट्रस्ट के कार्य में कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।


7 :- यह कि शिक्षा संस्थाएँ जो भी इस ट्रस्ट के द्वारा संचालित को जायेगी को प्रबन्धा समिति उन संस्थाओं के विविधा विधानके अनुसार गठित किये जाने का अधिकार प्राप्त होगा ।


8 :- यह कि ट्रस्ट को और से हर प्रकार को विविधा कार्यवाही करने का अधिकार वैधमैन का होगा ।


9 :- यह कि ट्रस्ट के संचालन स्वम उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के संबंधमें हर प्रकार का निष्पत्ति लेने का अधिकार वैधमैन को होगा ।

10 :- यह कि ट्रस्ट का एकाउन्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / सोडलिड बैंक में वैधमैन द्वारा खोला जायेगा, तथा उसका संचालन वैधमैन अर्थात् उसके द्वारा नामित व्यक्ति करेगा ।

11 :- यह कि वैधमैन को अपनी इच्छानुसार अपने जोचनकाल में या तत्पश्चात् द्वारा किसी भी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार प्राप्त होगा ।










उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 229696

- 6 JUL 2007



-5-

तथा उस नामित व्यक्ति को वही सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो वेयरमैन को प्राप्त हो।

12:- यही ट्रस्ट का प्रबन्धान वेयरमैन तथा उनको अनुमतिस्थिति में उनके द्वारा नामित सदस्य द्वारा किया जाएगा।

13:- यही बैंक एकाउन्ट वेयरमैन व उनके द्वारा नामित सदस्य दोनों में से किसी के भी द्वारा अपरेट किये जाने का अधिकार प्राप्त होगा।

14:- यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को स्थापना कराने हेतु धान को व्यवस्था करने हेतु ट्रस्ट को धान अर्जित करने हेतु व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होगा, वह यदि किसी संस्था को विकसित करने हेतु श्रृंखला को आवश्यकता पड़ती है, तब श्रृंखला लेने का अधिकार भी ट्रस्ट के वेयरमैन को होगा। तथा व्यापार से जो भी धान अर्जित होगा वह ट्रस्ट स्वयं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के विकास हेतु कार्य किया जाएगा।


15:- यह कि ट्रस्ट को प्रबन्धा समिति को मीटिंग में अथवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं की मीटिंग में यदि किसी बात पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होगा, तब वेयरमैन का निर्णय सभी को स्वीकार एवं मान्य होगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 229695

- 6 . IIII . 2007



-6-

16:- यद्यकि ट्रस्ट स्थापित करने वाले तीनों मुकिरान डा. विनोद कुमार , डा. गुश्वरन कुमार , डा. गौख कुमार को अथावा उनके उत्तराधिकारियों के परिवार के सदस्यों को ट्रस्ट का प्रबन्धाकोष कार्य करने हेतु सदस्य बनाने का अधिकार होगा ।

17:- यह कि हम तीनों मुकिरान डा. गीरमा कुमार व श्रोमति शान्ति देवी को भी वर्तमान में ट्रस्ट को कार्यकारिणी का सदस्य नामित करते है।

18:- यद्यकि वेयरमैन को ट्रस्ट के ऐसे किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार होगा , जिसके कार्ये क्लाप ट्रस्ट के हित के अनुष न हो ।

19:- यद्यकि ट्रस्ट के वेयरमैन को किसी भी ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाने का अधिकार प्राप्त होगा जिसके सदस्य बनाये जाने से ट्रस्ट एवम उ सके द्वारा संचालित संस्थाये लाभान्वित हो ।

20:- यद्यकि ट्रस्ट का संचालन निम्न व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा -

1- वेयरमैन 2- बाइस वेयरमैन 3- सदस्य- तीन

21- यद्यकि वर्तमान में डा. विनोद कुमार अध्यक्ष / वेयरमैन , तथा डा. श्रोमति गुश्वरन कुमार -- उपाध्यक्ष / बाइस वेयरमैन तथा डा. गौख कुमार व








उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


H 470103


-8-


नोट :- मुकदमा के फोटो श्री के. एस. भाटनागर एडवोकेट के द्वारा प्रमपणित किये गये है।


अस. एड. 

अस. एड. 

अस. एड. 

गव. एड. - 


गव. एड. - 



डा. आर. सी. शर्मा ए. एस. आर. मुस्ता  
B-173 टिनार काशी की मुस्ताबाद

श्री. सी. कुमार ए. एस. आर. मुस्ता  
B-161 टिनार काशी की मुस्ताबाद  
एम. 25. ए. एस. मुस्ताबाद

ये दस्त डोड वाइकार मुकदमा वामुकाम मुस्ताबाद आज बतारके 10-97-07 ई0 को वास्तुगिरा श्री किान स्वामी भाटनागर एडो मुस्ताबाद कुमार द्वारा टाईप की गयी ।

  
S. B. Singh  
New Delhi  
10-7-07

